राजस्थान सरकार

प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन 2018-19

कारागार विभाग

राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन

2018–2019

कारागार विभाग

राजस्थान, जयपुर

. अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	कारागार विभाग का उद्देश्य	1
2.	बंदी क्षमता एवं संख्या	1-2
3.	सुधारात्मक व्यवस्थायें एवं कार्यक्रम	
	3.1 बंदियों को कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल)	2-3
	3.2 बंदियों की समयपूर्व रिहाई	3-4
	3.3 बंदियों का बंदी खुले शिविर में स्थानान्तरण	4
	3.4 बन्दियों को स्थाई पैरोल पर रिहाई	5
	3.5 विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का पुनरीक्षण	5
	3.6 कारागृह उद्योग	5-6
	3.7 कारागृहों में शैक्षणिक कार्यक्रम	
	अ. साक्षरता	6
	ब. उच्च शिक्षा	6-7
	स. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	7
	द. तकनीकी शिक्षा	7-9
	3.8 खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधा	9
	3.9 बंदी कल्याण कोष	9
	3.10 बंदी बैण्ड्	9-10
	3.11 अन्य कार्यक्रम	10
4.	चिकित्सा सुविधायें	10-12
5.	मानव संसाधन	12-13
	5.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम	13-14
	5.2 राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास	14
	5.3 राजस्थान कारागार विभाग कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि	15
6.	नवाचार	
	6.1 आशाएं द जेल शॉप	15
	6.2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	15
	6.3 ई-प्रिजन्स एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	16-17
	6.4 बन्दियों हेतु सुविधाएं	17-18
	6.5 भावी प्राथमिकताएं	18
7.	विभाग का स्वीकृत बजट, आय व्यय का विवरण	19-20

कारागार विभाग का प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2018

1. कारागार विभाग का उद्देश्य

न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में भेजे गये व्यक्तियों को समुचित अभिरक्षा में रखना, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करते हुए बंदियों में विधि के प्रति समानता का भाव जागृत करना तथा अभिरक्षा में ऐसी शिक्षा देना एवं कार्य सिखाना जिससे वे रिहा होने के पश्चात् उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए राष्ट्र के उपयोगी नागरिक के रूप में समाज में पुनर्स्थापित हो सकें।

2. बंदी क्षमता एवं संख्या

राज्य में केन्द्रीय कारागृह (9), उच्च सुरक्षा कारागार (1), जिला कारागृह "ए" श्रेणी (2), जिला कारागृह "बी" श्रेणी (24), उप कारागृह (60), खुला बंदी शिविर (31), महिला बंदी सुधारगृह (2), किशोर बंदी सुधारगृह (1), कुल 130 कारागृह हैं, जिनकी कुल बंदी क्षमता 21892 है।

केन्द्रीय कारागृहों में आजीवन कारावास तथा 10 साल से अधिक सजा के दण्डित बंदियों (Convicts) को रखा जाता है। जिला कारागृह "ए" श्रेणी में 10 वर्ष तथा अन्य जिला कारागृहों में 3 साल तक की सजा से दण्डित बंदियों को रखा जाता है। समस्त कारागृहों में विचाराधीन बंदियों (Under Trials) को यथासंभव उनके विरूद्ध विचाराधीन प्रकरणों के न्यायालय के क्षेत्राधिकारानुसार अभिरक्षा में रखा जाता है। उच्च सुरक्षा कारागार में राज्य के हार्ड कोर बंदियों को रखा जाता है।

किशोर बंदी सुधारगृह में 18 से 21 साल तक की उम्र के सजायाफ्ता बंदी रखे जाते है तथा महिला बंदी सुधारगृहों में केवल महिला बंदियों को रखा जाता है। केन्द्रीय कारागृहों एवं जिला कारागृहों में वर्तमान में पृथक महिला वार्ड भी कार्यरत है, जहाँ महिला बंदियों को रखा जाता है।

वर्ष 2018 में राज्य की समस्त कारागृहों में कुल 20134 बंदी (31.12.2018 को) निरूद्ध थे, जिनमें 14509 विचाराधीन बंदी, 5606 दण्डित बंदी, 13 सिविल बंदी तथा 06 डेटेन्यू बंदी थे। गत् 5 वर्षों में राज्य में निरूद्ध बंदियों की संख्या तुलनात्मक रूप से निम्नानुसार है :-

वर्ष	बंदी क्षमता	विचाराधीन बंदी	दण्डित बंदी	सिविल बंदी	डेटेन्यू बंदी	कुल बंदी
2014	17191	14608	5631	112	08	20359
2015	19607	13871	5736	67	05	19679
2016	19874	14817	5346	189	11	20363
2017	21879	14126	5544	47	07	19724
2018	21892	14509	5606	13	06	20134

बंदियों की निरन्तर बढ़ती संख्या तथा विभिन्न कारागृहों में जनाधिक्य के दृष्टिगत राज्य में बंदी क्षमता में वृद्धि की जा रही है। कोटा में 1000 बन्दी क्षमता के कारागृह का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही 5 राज्य के संभाग मुख्यालय भरतपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर पर 100-100 बंदी क्षमता तथा उदयपुर में 50 बन्दी क्षमता के महिला बन्दी सुधारगृह निर्माणाधीन है। उपरोक्त में महिला बंदी सुधारगृह, उदयपुर एवं भरतपुर को जेल घोषित किया जा चुका है, जिन्हें शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा।

3. सुधारात्मक व्यवस्थायें एवं कार्यक्रम

3.1 बंदियों को कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल)

बंदियों में अनुशासन एवं सदाचरण की भावना विकसित करने के उद्देश्य से इन्हें कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल) प्रदान की जाती है। बंदियों को अधिकतम 15 दिवस का आपात पैरोल बंदी के नजदीकी रिश्तेदार यथा पिता, माता, पत्नी, पति, बच्चे, भाई अथवा अविवाहित बहिन की गम्भीर बीमारी, नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु, प्राकृतिक आपदा के कारण जीवन और सम्पदा को क्षति, स्वयं की शादी, पुत्र/पुत्री की शादी एवं माता पिता के न होने पर भाई/बहिन की शादी पर दिये जाने का नियमों में प्रावधान है। दंडित गर्भवती महिला बंदी द्वारा जेल से बाहर प्रसव हेतु आवेदन पर उसे 45 दिवस का पैरोल स्वीकृत किये जाने का नियमों में प्रावधान है। वर्तमान पैरोल व्यवस्था में निकट संबंधी/ परिजन की मृत्यु पर आपात पैरोल के प्रावधान के अन्तर्गत अधीक्षक को 07 दिवस पैरोल स्वीकृत करने का अधिकार एवं महानिदेशक कारागार/महानिरीक्षक कारागार को 15 दिवस, जिला कलक्टर को 15 दिवस पैरोल का अधिकार है।

विभाग में वर्ष 2016 से 2018 की अवधि में बंदियों को राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1958 में प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत पैरोल का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पैरोल स्वीकार कर्ता	रिहा किये गये बंदियों की संख्या		
		वर्ष 2016	वर्ष 2017	वर्ष 2018
1	जिला पैरोल समिति द्वारा स्वीकृत नियमित पैरोल	988	1279	1243
2	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार द्वारा दिया गया आपात पैरोल	0	1	2
3	संबंधित अधीक्षक द्वारा दिया गया आपात पैरोल	14	0	30
4	सबंधित जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया आपात पैरोल	81	126	114
5	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के बंदियों को दिया गया पैरोल	0	1	0
6	संबंधित न्यायालयों के आदेशों से पैराल पर रिहा	246	253	502
7.	राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पैरोल समिति की अनुशंषा पर स्थाई पैरोल पर रिहा	133	138	155
	योग	1462	1818	1892

3.2 बंदियों की समय पूर्व रिहाई

सजा भुगतने के दौरान बंदियों में हुए सुधार को दृष्टिगत रखते हुए शेष सजा माफ कर समय पूर्व रिहा करके इन्हें समाज में पुनर्स्थापन का अवसर दिया जाता है।

राजस्थान कैदी (सजाओं को कम करना) नियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डित बंदियों के समय पूर्व रिहाई के मामलों पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर सलाहकार मंडलों का गठन किया गया है। सलाहकार मण्डल बंदियों के समय पूर्व रिहाई प्रकरणों पर विचार कर बंदियों को छोड़े जाने/न छोड़े जाने की सिफारिश राज्य सरकार को करते है और राज्य सरकार द्वारा सलाहकार मण्डल की सिफारिश के आधार पर बंदियों को समय पूर्व छोड़े जाने या ना छोड़े जाने का निर्णय लिया जाता है। वर्ष 2016 से 2018 तक कारागार विभाग में राज्य सरकार द्वारा कुल **82** बंदियों को समय पूर्व रिहा किया गया है जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	कारागृहों से समयपूर्व रिहा किये बंदियों की संख्या
2016	01
2017	13
2018	68

3.3 बंदियों का खुले बंदी शिविरों में स्थानान्तरण

बंदियों में अच्छे एवं स्व-अनुशासन के आचरण को बढ़ावा देने के लिए रिहाई से पूर्व खुले बंदी शिविरों में रखकर इन्हें सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक रूप से स्वनिर्भरता अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। राजस्थान बंदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियमों के अन्तर्गत राज्य की कारागृहों के ऐसे बंदियों को जिन्होंने अपनी कुल सजा का 1/3 भाग रेमीशन सहित पूरा कर लिया है और जिनका आचरण कारागृहों में अच्छा रहा है, को राज्य स्तरीय वरिष्ठता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंषा पर बंदियों को खुले शिविरों में भेजा जाता है।

खुले बन्दी शिविरों में बन्दी स्वयं की रूचि के उद्यम अपनाकर या सामान्य श्रमिक की भांति मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। खुले शिविरों के बंदियों को उनके द्वारा अर्जित राशि स्वयं के पास रखने, स्वयं के लिए आवास व भोजन व्यवस्था पर व्यय करने एवं बचत को अपने परिवार वालों को भेजने की पूर्ण सुविधा है। बंदियों को खुले शिविरों पर अपने परिवार के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी वहन कर सकें एवं उनका परिवार विघटित होने से बच सके। यह शिविर जेल व समाज के बीच कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे है। इससे न केवल बंदी को जेल में होने वाले तनाव से छुटकारा मिलता है, बल्कि बंदी पर होने वाले सरकारी खर्चे में भी बचत होती है। यह बंदी को खुला रखने पर उसके आचरण का परीक्षण होता है। यदि बंदी सही आचरण नहीं रखता है तो पुनः जेल भेज दिया जाता है। राजस्थान के खुला बंदी शिविर पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुके है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इस व्यवस्था को अपनाने हेतु निर्देशित किया है। यह अपने आप में कारागार विभाग के लिए गौरव की बात है।

दिनांक 31.12.2018 को 31 खुले बंदी शिविर संचालित किये जा रहे है, जिनकी कुल बंदी क्षमता 1357 है एवं 1001 बंदी वर्तमान में इन शिविरों में निवासरत है। वर्ष 2018 में **350** बंदियों को राज्य के विभिन्न बंदी खुला शिविरों में भिजवाया गया।

3.4 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहाई :-

राजस्थान प्रिजन्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 1958 के संशोधित नियम 1994 के प्रावधानानुसार कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदी जिनके द्वारा 20, 30 एवं 40 दिवसीय नियमित पैरोल का संतोषजनक रूप से उपभोग कर लिया है, ऐसे बंदियों को नियम -9 के तहत स्थाई पैरोल पर रिहा किया जाने का प्रावधान है। वर्ष 2016 से 2018 तक कुल 424 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहा किया गया है, जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	कारागृहो से स्थाई पैरोल पर रिहा किये बंदियों की संख्या
2016	113
2017	127
2018	184

3.5 विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का पुनरीक्षण

कारागृह में बंद विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की आवधिक समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति गठित है। इस समिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि, जिला परिवीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक अभियोजन, सदस्य व प्रभाराधिकारी, कारागृह सदस्य सचिव होते है। इस समिति द्वारा नियमित बैठक कर लंबी अवधि से विचाराधीन रहते हुए न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा की जाकर प्रकरणों के निस्तारण बाबत सुझाव दिए जाते है। इस समिति द्वारा अधिकतम सजा के आधे भाग के बराबर विचाराधीन अवधि वाले बंदी के बारे में विचार किया जाता है।

3.6 कारागृह उद्योग

राज्य की 9 कारागृहों में दंडित बंदियों को विभिन्न व्यवसायों यथा दरी, निवार, कपड़ा बुनाई, सिलाई, कूलर बनाना, कारपेन्ट्री, होजरी, लुहारी आदि में प्रशिक्षित किया जाता है। कपड़ा बुनने के लिए पावर चलित मशीनें स्थापित की गई है। राज्य की तीन केन्द्रीय कारागृहों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर) में डेजर्ट कूलर निर्मित करने हेतु उद्योग प्रारंभ कर बंदियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। कारागार उद्योगों मे प्रशिक्षित होने के उपरान्त बंदियों द्वारा उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। उद्योगों मे बंदियों को दो श्रेणियों में (अकुशल व कुशल) विभक्त कर अकुशल श्रमिक को 130/- रूपये एवं कुशल श्रमिक को 150/- रूपये प्रति दिवस का नियत कार्य पूरा करने पर पारिश्रमिक

राशि का भुगतान किया जाता है। इस राशि में से 25 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित पक्ष को भुगतान हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान है। वर्ष 2016 से 2018 तक राज्य के कारागृहों की उद्योगशाला में बंदियों द्वारा वर्षवार निम्नानुसार उत्पादन किया गया :-

वर्ष	राज्य की उद्योगशालाओं में उत्पादन (राशि लाखों में)
2016	87.87
2017	58.28
2018	43.92

3.7 कारागृहों में शैक्षणिक कार्यक्रम

(अ) साक्षरता

निरक्षरता के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के राज्य सरकार के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य की कारागृहों में भी शिक्षित बंदियों द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के लिये प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य प्रौढ़ शिक्षा समिति एवं राजस्थान शिक्षा प्रसार समिति द्वारा भी साक्षरता कार्यक्रम चलाये जाते है। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) के सहयोग से भी बंदियों को साक्षर करने के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। राज्य की बड़ी कारागृहों में जहां अधिक संख्या में बंदी रहते हैं, बंदी बैरकों को आखरधाम के रूप में अभिहित कर साक्षरता को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। वर्ष 2016 से 2018 की अवधि में **वर्षवार** साक्षर किये गये बंदियों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	राज्य कारागृहों में साक्षर किये गये बंदियों की संख्या
2016	7107
2017	8139
2018	5860

(ब) उच्च शिक्षा

बंदियों को कारागृह में रहते हुए अपनी शैक्षणिक योग्यता में उन्नति करने के लिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमान्तर्गत राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएं सुलभ कराई जाती है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016 से 2018 तक विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले बंदियों का विवरण निम्न है :-

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	वर्ष 2016-17 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2017-18 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2018-19 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या
1.	सैकेण्डरी	46	87	112
2.	सीनियर सैकेण्डरी	0	17	22
3.	स्नातक प्रथम	37	55	0
4.	स्नातक द्वितीय	0	0	0
5.	स्नातक तृतीय	2	1	1
6.	स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध	1	0	0
7.	स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध	20	5	5
8.	अन्य परीक्षा	65	152	119
	योग	**171**	**317**	**259**

(स) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

IGNOU के अधिकांश पाठ्यक्रम बंदियों को रोजगार दिलाने में सहायक हैं। इससे बंदी स्वावलम्बी हो सकेंगे एवं कारागृहों से रिहा होने के बाद समाज में पुनर्स्थापित होकर अपना स्थान बना सकेगें।

वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक की अवधि में **IGNOU** द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में राज्य के कारागृहों में निरूद्ध बंदियों ने निम्नानुसार वर्षवार अध्ययन हेतु प्रवेश लिया, जिनका विवरण निम्न है:-

वर्ष 2016-17 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2017-18 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2018-19 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या
1044	719	984

(द) <u>तकनीकी शिक्षा</u>

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं अजमेर (हाल- बीकानेर) में राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आई.टी.आई. संचालित की जा रही है। केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में दंडित बंदियों को सजा भुगतते हुए फिटर एवं वायरमैन पाठ्यक्रमों में दो वर्षीय प्रशिक्षण तथा कारपेन्ट्री, कटिंग एवं सिलाई में एक वर्षीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसी

प्रकार केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में फिटर एवं डीजल मैकेनिक का दो वर्षीय प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2016 से 2018 तक की अवधि में उक्त पाठ्यक्रमों में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2016

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर				(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर हाल बीकानेर			
क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	कारपेन्टर	2016-17	19	1	डीजल मैकेनिक	2016-17	26
2	कटिंग एवं स्वीईग	2016-17	20	2	फिटर	2016-18	13
	योग		39		योग		39

वर्ष 2017

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर				(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर हाल बीकानेर			
क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	कारपेन्टर	2017-18	11	1	डीजल मैकेनिक	2017-18	19
2	कटिंग एवं स्वीईग	2017-18	11	2	फिटर	2016-18	13
3	फिटर	2017-19	16				
4	वायरमैन	2017-19	19				
	योग		57		योग		32

वर्ष 2018

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर				(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर हाल बीकानेर			
क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	कारपेन्टर	2018-19	14	1	डीजल मैकेनिक	2018-19	08
2	कटिंग एवं	2018-19	13	2	फिटर	2018-20	06

	स्वीईंग						
3	फिटर	2018-20	07	3	कोपा	2018-19	20
4	वायरमैन	2018-20	12				
	योग		46		योग		34

3.8 खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधा

बंदियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए इन्हें खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधाएं कारागृहों में उपलब्ध करवाई जा रही है। देश विदेश की ताजा घटनाओं की जानकारी एवं ज्ञानवर्धन हेतु समाचार पत्र, पत्रिकायें, पुस्तकें आदि बंदियों को उपलब्ध है। कारागृहों में टी.वी., रेडियो, कैसेट प्लेयर आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। समय-समय पर केन्द्रीय कारागारों में उपलब्ध प्रोजेक्टर के माध्यम से ज्ञानवर्धक चलचित्र भी बंदियों को दिखाये जाते हैं। बंदियों को खेलकूद, गीत-संगीत, वाद-विवाद, लेखन चित्रकला आदि की प्रतियोगितायें भी करवाई जाती है। राज्य की समस्त केन्द्रीय/जिला कारागृहों में बंदियों के मनोरंजन हेतु केबल कनेक्शन स्थापित कराये गये हैं।

3.9 बंदी कल्याण कोष

कारागार विभाग में बंदियों के कल्याण संबंधी कार्य हेतु बंदी कल्याण कोष संचालित किया जाता है। बंदियों को नजर का चश्मा, परीक्षा शुल्क/पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं खेलकूद, मनोरंजन के उपकरण क्रय करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने/उत्सवों के आयोजन एवं प्रवचन एवं पाठ आदि पर होने वाला व्यय इस कोष से वहन किया जाता है। विभाग द्वारा वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक की अवधि में बंदी कल्याण कोष से निम्नानुसार राशि व्यय की गई :-

क्र.सं.	वर्ष	बंदी कल्याण कोष से व्यय राशि (लाखों में)
1.	2016	2.54
2.	2017	2.69
3.	2018	28.87

3.10 बंदी बैण्ड

राजस्थान राज्य की केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर पर बंदी बैण्ड कार्यरत है। केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर पर बैण्ड स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन कारागृहों पर बंदियों को बैण्ड के वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा निजी उत्सवों पर निर्धारित शुल्क पर बंदी बैण्ड भेजे जाते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इस बैण्ड की प्रस्तुति राज्य स्तर पर भी दी जाती है। केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर के बैण्ड पर बी.

बी.सी. द्वारा डाक्यूमेंट्री बनाई गई है। इस बैण्ड में मात्र एक प्रहरी की अभिरक्षा में 20 से 22 बंदी बैण्ड के साथ बाहर समारोहों में भाग लेने जाते है।

कारागार विभाग के इस प्रयास को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। बैण्ड़ से प्राप्त आमदनी राशि का आधा भाग बंदी बैण्ड में कार्य करने वाले बंदियों में वितरित किया जाता है तथा शेष आधे भाग का उपयोग बैण्ड के साजो सामान को क्रय करने, उनकी मरम्मत आदि के लिए उपलब्ध रहता है। वर्ष 2016 से 2018 तक की अवधि में जेल बैण्ड के माध्यम से प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	जेल बैण्ड़ से प्राप्त राशि (लाखो में)	बैण्ड़ के साजो समान पर व्यय की गई राशि (लाखो में)	बैण्ड़ पार्टी के बंदियों में वितरित की गई राशि (लाखो में)
1.	2016	4.54	0.10	2.22
2.	2017	3.34	0.56	2.36
3.	2018	1.97	0.17	0

3.11 अन्य कार्यक्रम

राज्य के कारागृहों में नियमित योग, विपश्यना, ब्रहमाकुमारीज एवं आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। बंदियों को सुधार के प्रति प्रेरित करने के लिये समय-समय पर नैतिक शिक्षा विभिन्न धर्म गुरूओं के माध्यम से दी जाती है।इन कार्यक्रमों से बंदियों का मानसिक तनाव कम होता है तथा अवसाद से छुटकारा मिलता है। सकारात्मक प्रवृत्ति विकसित होने से बंदी अपराधिक प्रवृत्ति से दूर होता है तथा उसमें रचनात्मक कार्यो के प्रति अभिरूचि जागृत होती है।

4. चिकित्सा एवं सुविधायें

राजस्थान राज्य की कारागृहों में बंदियों के स्वास्थ्य की सुचारू देख-रेख की व्यवस्थाएं की जा रही है। इस हेतु राज्य की समस्त केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर पूर्णकालीन चिकित्सा अधिकारियों व पूर्णकालीन मेलनर्स के पद स्वीकृत है तथा समस्त उप कारागृहों हेतु अंशकालीन चिकित्साधिकारियों एवं पूर्णकालीन मेलनर्स के पद स्वीकृत है।

राज्य की केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर डिस्पेन्सरियां स्थापित है, जहां पर बंदियों का इलाज किया जाता है तथा उप कारागृहों पर बंदियों के इलाज हेतु मेलनर्स के पद स्वीकृत है। राज्य की कारागृहों में निरूद्ध बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था हेतु निम्नानुसार चिकित्साधिकारियों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ के पद स्वीकृत है :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियो डाइग्नोसिस)	02
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	01
3.	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (मनोचिकित्सक)	09
4.	क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट	01
5.	चिकित्साधिकारी	37
6.	सहायक रेडियोग्राफर	02
7.	मेलनर्स	89
8.	नर्स/दाई	04
9.	लैब टैक्नीशियन	08

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं जोधपुर में पैथोलोजी लैब भी स्थापित है जिसमें बंदियों की विभिन्न बिमारियों की जांच हेतु मशीनों एवं उपकरणों यथा अल्ट्रा साउण्ड सिस्टम, (सोनोग्राफी) एक्स-रे मशीन, सेमी ऑटो एनेलाइजर और ऑडियो मॉनिटर आदि की व्यवस्था हैं। लैब हेतु 2 जूनियर स्पेशलिस्ट (रेडियो डायग्नोसिस), 2 सहायक रेडियो ग्राफर एवं 2 लैब टेक्निशियन के पद बंदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत हैं। समस्त 9 केन्द्रीय,1 उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर, 2 जिला कारागृह ''ए'' श्रेणी, 19 जिला कारागृह ''बी'' श्रेणी एवं महिला बन्दी सुधारगृह, जयपुर पर एम्बुलेन्स की सुविधा भी सुलभ है।

राज्य के कारागृहों में निरूद्ध समस्त बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा (Scale) अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दंडित बंदियों को बिस्तर, कम्बल, वस्त्रादि भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। आवश्यकता होने पर विचाराधीन बंदियों को भी बिस्तर, कम्बल दिये जाते हैं।

राज्य की केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अलवर एवं श्रीगंगानगर पर 01 वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (मनोचिकित्सक) का पद सृजित है तथा केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर 01 कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसिन) एवं 01 क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट के भी पद सृजित हैं। राज्य की समस्त केन्द्रीय कारागृहों पर ई.सी.जी., एक्स-रे एवं सोनोग्राफी मशीनें भी उपलब्ध है।

गत तीन वर्षों मे बंदियों को भोजन, वस्त्रादि एवं चिकित्सा सुविधा पर प्रति बंदी औसत वार्षिक व्यय निम्न है :-

2016-17	रूपये 9813.00
2017-18	रूपये 11775.00
2018-19 (दिनांक 31.12.2018 तक)	रूपये 11350.03

5. मानव संसाधन

(i) भर्ती एवं प्रशिक्षण :- कारागार विभाग में उपाधीक्षक, उप कारापाल एवं प्रहरी के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती है। विगत तीन वर्षो में निम्नांकित पदों पर भर्ती की गई है:-

क्र.सं.	वर्ष	उपाधीक्षक	कारापाल	प्रहरी
1.	2016	0	0	16
2.	2017	0	34	07
3.	2018	0	01	775

उपाधीक्षक एवं उप कारापाल पद पर नियुक्ति उपरान्त 09 माह का संस्थागत एवं 09 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा प्रहरी पद पर नियुक्ति उपरान्त 06 माह का संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ii) कॉडर रिव्यू व पुनर्गठन:-कारागार विभाग के बढते कार्यभार के मद्देनजर जेल कार्मिकों के कॉडर रिव्यू व पुनर्गठन हेतु उपाधीक्षक, कारापाल, उप कारापाल के पदों में बढ़ोतरी हेतु 320 पदों के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

राज्य के विभिन्न कारागृहों में स्वीकृत सुरक्षा अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी पदवार उपलब्धता (31.12.2018 की स्थिति) निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पदनाम	2016		2017		2018	
		स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध
1.	अधीक्षक ग्रेड-I	11	3	11	1	11	10
2.	अधीक्षक ग्रेड-II	7	2	7	2	18	3
3.	उपाधीक्षक	36	22	36	21	36	9
4.	कारापाल	51	6	76	7	76	13

5.	उप कारापाल	54	17	188	133	188	130
6.	सहायक कारापाल	149	70	0	0	0	0
7.	महामुख्य प्रहरी	10	6	0	0	0	0
8.	मुख्य प्रहरी	612	391	613	496	613	451
9.	प्रहरी	2904	1555	2907	1325	2907	1894
	योग	3834	2072	3838	1985	3849	2510

क्रम संख्या 6 एवं 7 पर अंकित पद वर्ष 2016 के पश्चात समाप्त कर दिए गए है। राज्य सरकार द्वारा कारागार विभाग के बढते कार्यभार के मद्देनजर जेल कार्मिकों की संख्या में बढोतरी की गई है, इसी क्रम में अधीक्षक ग्रेड-II के पद 07 से बढाकर 18 कर दिए गए है ।

भारत सरकार के आदर्श जेल मेन्यूअल के अनुसार हर छः बंदियों पर एक सुरक्षाकर्मी की उपलब्धता आवश्यक है। राज्य में प्रत्येक सुरक्षाकर्मी पर औसतनवर्ष 2016 में 10, वर्ष 2017 में 10 एवं वर्ष 2018 में 08 बंदियों का उत्तरदायित्व रहा है। सुरक्षा कर्मियों की कमी के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कारागृहों पर व्यवस्था बनाये रखने के लिये अस्थायी तौर पर बॉर्डर होमगार्ड स्वयंसेवक एवं शहरी/ग्रामीण होमगार्ड स्वयंसेवक उपलब्ध कराए जाते है, जिस कारण राज्य में सुरक्षाकर्मी एवं बंदी अनुपात लगभग 1:6 है। कारागृहों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने एवं अवैध सामग्री की रोकथाम हेतु आर.ए.सी. की सम्पूर्ण बटालियन (13वीं वाहिनी, आरएसी) के 836 जवानों को अलग-अलग 50 कारागृहों पर लगाया गया है।

कारागृहों में रिक्त चल रहे पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2018 में 73 वरिष्ठ पदों पर पदोन्नतियाँ भी प्रदान की गई है।

5.1 प्रशिक्षण

कारागार विभाग का मूल प्रशिक्षण संस्थान कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर है, जहाँ समस्त नवनियुक्त एवं पदोन्नत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में तेहरवें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान राशि से सुविधाओं में विस्तार के उपरान्त जेल कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इस संस्थान में 300 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने की क्षमता हो गई है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण संस्थानों पर भी जेल अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2016 से 2018तक की अवधि में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर दिये गये प्रशिक्षण का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क.सं.	वर्ष	उपाधीक्षक	कारापाल	उप कारापाल	सहायक कारापाल/ महामुख्य प्रहरी	मुख्य प्रहरी	प्रहरी
1	2016	02	03	06	12	59	01
2	2017	-	-	70	-	115	22
3	2018	-	18	55	-	-	734

उक्त के अतिरिक्त विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर अन्य संस्थानों जैसे हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, किशनगढ़, जेल ट्रेनिंग स्कूल, पटियाला, पंजाब, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, कारागार विभाग (SICA) हैदराबाद एवं मुख्यालय कारागार, जयपुर पर भी विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

5.2 राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास (Employee Welfare Found)

राजस्थान कारागार विभाग में कार्यरत कर्मियों के कल्याणार्थ, कार्मिक कल्याण न्यास उपलब्ध है जो कि पूर्णत: कर्मचारियों के अंशदान से संचालित किया जाता है। वर्ष 2016 से 2018 तक की अवधि में न्यास से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता, कर्मचारी को गम्भीर बीमारी होने पर आर्थिक सहायता एवं सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृति पर लौटाई गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	मृतक कर्मचारियों की संख्या	मृतक आश्रितों को सहायता (लाखों में)	सेवानिवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	सेवानिवृति पर लौटाई गई राशि (लाखों में)
1.	2016	02	0.23	22	0.20
2.	2017	12	2.34	53	0.37
3.	2018	14 (3 गम्भीर घायलसहित)	2.25	43	0.31

5.3 राजस्थान कारागार विभाग कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि

कारागार विभाग में सेवाकाल की अवधि में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा शारीरिक अयोग्यता/असमर्थता की स्थिति में, जिससे कि वह सेवा करने में असमर्थ हो जावे, स्वयं सदस्य को अथवा उसके परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने एवं कल्याण संबंधी कार्यो हेतु कोष-निधि संचालित की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि एवं विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त होने वाली वार्षिक अंशदान राशि सम्मिलित है। वर्ष 2016 से 2018 तक की अवधि में हितकारी निधि से विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं मृतक कार्मिकों के आश्रित सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति पर व्यय राशि (लाखों में)	विभागीय कल्याणकारी योजनाओं एवं मृतक आश्रित सदस्यों की सहायता पर व्यय राशि (लाखों में)
1.	2016	2.96	0.72
2.	2017	0.96	5.14
3.	2018	2.41	1.62

6. नवाचार

6.1 आशाएं द जेल शॉप :-

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर विक्रय आउटलेट आशाएँ- द जेल शॉप का उद्घाटन दिनांक 18.01.2017 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। उक्त आउटलेट पर दरियां, पेंटिंग्स, आसन (पूजा) जयपुरी रजाईयां, पैच वर्क, सांगानेरी प्रिन्ट की बेड शीट्स, मिर्च-मसाले, कैण्डल, पेपर बैग्स, पेपरमेशी अगरबत्ती आदि सामान की बिक्री की जाती है। दिनांक 31.12.2018 तक राशि 13,63,998/- रूपये की बिक्री हुई है।

6.2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :-

केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर, अजमेर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर, उदयपुर एवं भरतपुर पर बंदियों को तकनीकी शिक्षा दिया जाकर रोजगार हेतु सक्षम करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6.3 e-prisons and VC:-

e-Prisons का क्रियान्वयन राज्य की 9 केन्द्रीय कारागृहों, 2 जिला कारागृह ए श्रेणी, 19 जिला कारागृह बी श्रेणी, 2 महिला बंदी सुधार गृहों, 1 उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर तथा किशोर बंदी सुधार गृह, जैतारण में किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत PMS (Prisons managemant system) तथा VMS (Visitor managemant system) Data को online प्रयोग में लिया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु Hardware यथा कम्प्यूटर, प्रिटंर, वेबकेम ,फिंगर प्रिन्टर डिवाइस, स्केनर इत्यादि स्थापित किये जा चुके है। सभी संबंधित कारागृहों को User ID तथा Passward allot किया जाकर e-Prisons Software पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

Prisons Managemant System-उक्त सॉफ्टवेयर PMS (Prisons managemant system) में बंदियों से संबंधित सामान्य जानकारी एवं Court Case, Court Action, Conviction, Photo, Lodging, Health Status, Visitor से संबंधित एन्ट्रियां इन्द्राज की जाती है, इसके अन्तर्गत दिनांक 31.12.2018 तक 258658 एन्ट्रियां हो चुकी है ।

Visitor Managemant System- (VMS) उक्त सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत बंदियों के परिजनों की मुलाकात करवाई जाती है इसके अन्तर्गत मिलने वाले आई.डी. की डीटेल का इन्द्राज कर उस का फोटो लिया जाता है। इस प्रकार मुलाकाती सिस्टम पूर्ण रूप से कार्यरत है। इसके अन्तर्गत दिनांक 31.12.2018 तक 484776 एन्ट्रियां हो चुकी है ।

Parole Managment System- e-Prisons System में बंदी के पैरोल से सम्बधित सांफ्टवेयर उपलब्ध है।

ई- हिस्ट्री टिकिट:-

हिस्ट्री टिकिट एक महत्वपूर्ण रिकार्ड है जिसमें बन्दी के जेल में दाखिल होने से रिहा होने तक बिताए गए समय से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण घटनाओं और विशेष रूप से बन्दी से संबंधित आदेश को निष्ठापूर्वक जेल प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है। राजस्थान कारागार नियम, 1951 के भाग-7 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक बन्दी (दण्डित/विचाराधीन) को एक हिस्ट्री टिकिट उपलब्ध कराये जाने के क्रम में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में बन्दियों के लिए दिनांक 31.01.2016 को ई-हिस्ट्री टिकिट CHRI के सहयोग से लॉंच किया जा चुका है। ई-हिस्ट्री टिकिट के माध्यम से बन्दी अपनी सजा संबंधी विवरण, रेमीशन, जेल दण्ड, आगामी पेशी, सजा, एवं चिकित्सा संबंधी विवरण व संभावित रिहाई इत्यादि कम्प्यूटर पर देख सकेंगे।

ई-प्रिजन प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि के द्वारा राज्य की समस्त केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, महिला बंदी सुधारगृह एवं उच्च सुरक्षा कारागृह तथा

किशोर बंदी सुधारगृह पर ई-प्रिजन प्रोजक्ट को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु हार्डवेयर/लोकल एरिया कनेक्टीविटी (LAN) / इन्टरनेट कनेक्टीविटी की कार्यवाही की जा रही है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

राज्य की 25 कारागृहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदियों की न्यायालय में पेशी भुगताने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। अब शेष कारागृहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा चालू किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ई-कोर्ट योजना के अन्तर्गत राज्य की जिला कारागृह, सवाईमाधोपुर, महिला बंदी सुधारगृह, जोधपुर एवं राज्य की समस्त उप कारागृहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयों से जोड़ा जा रहा है। उक्त कारागृहों पर हार्डवेयर स्थापित/इन्टालेशन हो चुके है, इन्टरनेट कनेक्टीविटी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6.4 बंदियों हेतु सुविधाऐं:-

- बंदियों के जीवन-स्तर में सुधार हेतु कारागृहों में बंदियों का जन्मदिन मनाये जाने संबंधी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।
- बन्दियों को परिजनों से मुलाकात को सुविधाजनक बनाए रखने की दृष्टि से समस्त केन्द्रीय कारागृहों पर सप्ताह में सोमवार के अतिरिक्त 6 दिवस तथा समस्त जिला कारागृह, उप कारागृह एवं महिला बन्दी सुधारगृहों पर सप्ताह में चार दिवस (मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार) निर्धारित किये गये है। बन्दियों से मुलाकात के लिए बतौर अर्जीनवीस ली जानी वाली शुल्क राशि को वर्ष 2018 में समाप्त कर दिया गया है। राज्य की समस्त कारागृहों पर अब बन्दी मुलाकात निःशुल्क कराई जा रही है।
- वृद्ध बंदी/परिजनों की वृद्ध परिजन/बंदियों की मुलाकात आमने सामने बैठाकर करवाये जाने की शुरूआत की गई है। इससे न केवल वृद्ध बंदी/परिजन ढंग से सुन पाते है, बल्कि इससे बंदियो का मानसिक तनाव भी कम हो रहा है।
- बंदियों में खेल भावना व पारस्परिक सद्‌भाव विकसित करने हेतु खेलों को बढावा दिया जा रहा है। इस हेतु बंदियों का क्रिकेट मैच जेल के बाहर करवाया गया। साथ ही विभिन्न जेलों के बंदियों के मध्य माह फरवरी-मार्च 2019 में प्रतियोगिता आयोजन कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- वृद्ध/लाचार बंदी जो उम्र अधिक होने से शारीरिक परेशानियों के कारण जमीन पर सो नहीं पाते है, उनके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था कर उसमें

चारपाईयाँ डाली गई है। चारपाईयों की व्यवस्था करने से वृद्ध व लाचार बंदियों को काफी सुविधा हुई।

- रसोई व्यवस्था सही करने हेतु बड़ी कारागृहों पर प्रति 500 बंदी अलग-अलग रसोईघर बनवाये जा रहे है। इससे न केवल भोजन बनाने में आसानी हो रही है, बल्कि भोजन गुणवत्ता में सुधार होगा।

6.5भावी प्राथमिकताएं:-

- सभी रैंक के जेल कार्मिकों की पदोन्नति समय रहते करवाना।
- प्रदेश की दो कारागृहों में सुविधायुक्त मनोचिकित्सा वार्ड बनाये जाने हेतु कार्यवाही।
- बंदियों के बिस्तर व वस्त्रों की धुलाई हेतु व्यवस्था करना।
- जेलों में जनाधिक्य (Overcrowding) दूर करने हेतु नई जेलों का निर्माण एवं वर्तमान जेलों में नई बैरकों का निर्माण करवाना।
- संभाग स्तर पर निर्माणाधीन नई महिला जेलों को शीघ्रता से शुरू करवाना।
- उद्योगशालाओं का सफल एवं बेहतर संचालन।
- जेलों में निषिद्ध वस्तुओं की रोकथाम हेतु योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कदम उठाना।
- कारागार विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों के मनोबल में वृद्धि व सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- कारागार कार्मिकों के निवास हेतु नये क्वार्टर्स का निर्माण।
- कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर को उच्च गुणवता के प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करना।

7. विभाग का स्वीकृत बजट आय, व्यय का विवरण

(i) कारागार विभाग, का वर्ष 2018-19 का स्वीकृत बजट एवं 31 दिसम्बर, 2018 तक कुल वास्तविक व्यय

क्र. सं.	उपशीर्ष 2056 जेल		स्वीकृत बजट (राशि लाखों में)	कुल वास्तविक व्यय (लाखों में)
1	2		3	4
1.	001-	निर्देशन एवं प्रशासन	-	-
		राज्य निधि	925.78	765.95
		राज्य निधि (आयोजना)	-	-
		के.प्र.यो.	-	-
		प्रभृत	-	-
2.	101-	जेल	-	-
	(01)	मुख्य जेले	-	-
		राज्य निधि	10218.60	6988.57
		राज्य निधि (आयोजना)	-	-
		के.प्र.योजना	-	-
		प्रभृत	-	-
	(02)	जिला जेले (राज्य निधि)	4590.46	3231.70
	(03)	हवालातें (राज्य निधि)	4172.01	3149.80
	(05)	जम्मू कश्मीर अतिवादियों के रख रखाव पर व्यय (05) कार्यालय व्यय (के.प्र.यो.)	0.50	0.00
	102	जेल उत्पाद	-	-
	(01)	मुख्य जेले (राज्य निधि)	82.76	61.98
	(02)	जिला जेले (राज्य निधि)	-	-
	800-	अन्य व्यय	-	-
	(01)	जेल प्रशिक्षण विद्यालय (राज्य निधि)	110.93	90.09
	(02)	किशोर बंदी सुधार गृह (राज्य निधि)	4.86	1.28

	(03)	महिला बंदी सुधारगृह (राज्य निधि)	**204.68**	**131.71**
		नवीन सेवा	-	-
		राज्य निधि	-	-
		राज्य निधि (आयोजना)	-	-
		के.प्र.यो.	-	-
		प्रभृत	-	-
		योग	**20310.58**	**14421.08**

		2059 लोक निर्माण कार्य मरम्मत एवं अनुरक्षण	1100.00	1081.65

(ii) कारागार विभाग का गत 3 वर्ष की आय एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत बजट (लाखों में)	वर्ष में हुआ व्यय (लाखों में)	आय अनुमान राशि (लाखों में)	वास्तविक आय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1	2016-17	13773.40	10702.97	130.00	111.31
2	2017-18	15758.36	12381.16	22.52	20.71
3	2018-19 (31 दिसम्बर 2018 तक)	20310.58	14421.08	25.52	24.85